बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
विज्ञापन

बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायक को संविदा के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में नियोजन हेतु

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायकों के 12 रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं पत्र संख्या–3815, दिनांक–11.03.2016 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत सहायकों से निम्नांकित शर्तो पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. रिक्ति आरक्षणवार निम्नवत् है:–

क्र0सं0	कोटि	रिक्तियों की संख्या	महिला हेतु वर्गवार क्षैतिज आरक्षण	अभ्युक्ति
1	अनारक्षित	06	2	योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02	1	
3	अनुसूचित जाति	02	1	
4	पिछड़ा वर्ग	02	1	
	कुल	12	5	

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के साथ–साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती–नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

6. उक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
7. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि :–
   (क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
   (ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
   (ग) कभी किसी मामले में दंडित नही है।
   (घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
8. आवेदक द्वारा सेवा के अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति (यदि उपलब्ध हो) आवेदन के साथ संलग्न की जानी है।
9. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
10. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।
11. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
12. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी. पी.ओ. की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में हाथों–हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक–08.11.17 के 05.00 बजे अप० तक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ब्लॉक संख्या–4 भूतल द्वितीय विंग, पुराना सचिवालय, पटना–15 में जमा करेंगे। संबंधित सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट http://www.bcebcwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

6/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

Desktop/Letter(P)

बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायक का संविदा के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्रः–

विहित–प्रपत्र

फोटो

1	आवेदक (सेवानिवृत सहायक) का नाम मोबाईल संख्या E-mail ID	:– :– :–	
2	अभ्यर्थी के पिता / माता का नाम	:–	
3	जन्म तिथि	:–	
4	लिंग (पुरूष / महिला)	:–	
5	शैक्षणिक योग्यता	:–	
6	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि– (जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:–	
7	वर्त्तमान पता	:–	
8	स्थायी पता	:–	
9	नियुक्ति की तिथिः– (सहायक पद पर)	:–	
10	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–	
11	विभाग नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है।	:–	
12	विभिन्न विभागों में सहायक के पद पर अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि	:–	
13	पी.पी.ओ. संख्या (पी.पी.ओ. का अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)	:–	
14	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	:–	
15	सेवाकाल के दंड	:–	

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम है।

तिथिः–
स्थानः–

आवेदक का हस्ताक्षर

Desktop/Letter(P)